

23

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- 7/यो०-कोर्ट केश-21/2018- 21/20-21 4.41

/राँची, दिनांक 12.02.2021

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
औपचारिक रूप
से परामर्शित

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सरकार सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- जल संसाधन विभागान्तर्गत जलपथ प्रमण्डल सं०-1, सिमडेगा^{के} अधीन एकरारनामा सं०-100F₂/1987-88 अन्तर्गत कंसजोर जलाशय योजना के डाईक 0.00 मी० से 1230 मी० तक कराये गये कार्य में एकल विवाचक द्वारा पारित अवार्ड के आलोक में मूलधन की राशि के भुगतान हेतु रु० 72.15 लाख (बहत्तर लाख पन्द्रह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. जल संसाधन विभागान्तर्गत एकरारनामा सं०-100F₂/1987-88 में कंसजोर जलाशय योजना के डाईक 0.00 मी० से 1230 मी० तक कराये गये कार्य में एकल विवाचक द्वारा पारित अवार्ड के आलोक में मूलधन की राशि के भुगतान हेतु रु० 72.15 लाख (बहत्तर लाख पन्द्रह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्र अन्तर्गत विभागान्तर्गत एकरारनामा सं०-100F₂/1987-88 में कंसजोर जलाशय योजना के डाईक 0.00 मी० से 1230 मी० तक कराये गये कार्य में एकल विवाचक द्वारा पारित अवार्ड के क्रम में सभी Judicial Remedy का उपयोग कर लिए जाने के पश्चात् विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में संवेदक के साथ विभागीय स्तर पर गठित समिति के द्वारा Negotiation किया गया, जिसके आलोक में Negotiated राशि का भुगतान किया जाना है।

4. आरबीट्रेशन अन्तर्गत पारित अवार्ड निम्नवत् है :-

(i)	Towards the cost of construction of Dyke with compound interest @ 18% p.a. w.e.f. 22.08.1999 till the date payment (+)	-	Rs. 18,73,244 + 18% p.a. compound interest
(ii)	Toward cost of escalation	-	Rs. 14,98,595.00
(iii)	Towards cost of idle machineries and idle labour with compound interest @ 18% p.a. w.e.f. 22.08.1999 till the date payment (+)	-	Rs. 38,42,495.00 + 18% p.a. compound interest
(iv)	Toward cost of Arbitration & Other consequential expenditure till date 25.07.2009	-	Rs. 10,60,000.00
(v)	Towards the refund of balance amount of security deposit @ 18% p.a. w.e.f. 22.08.1999 till the date payment (+)	-	Rs. 1,10,881.00 + 18% p.a. Simple interest
	Total	-	Rs. 83,85,215.00

- 22)
5. उपरोक्त में से क्रमांक-(v) के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं०-1, सिमडेगा के पत्रांक-439, दिनांक 04.11.2020 द्वारा Security deposit की राशि रु० 1,10,881/- संवेदक को वापस कर दी गई है।
 6. क्रमांक- (i), (ii) एवं (iii) की राशि के मूलधन का भुगतान योजना मद से किया जाना है, जिसकी कुल राशि रु० 72,14,334.00 (रुपये बहत्तर लाख चौदह हजार तीन सौ चौतीस मात्र) है।
 7. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं०-1, सिमडेगा होंगे।
 8. प्रस्तावित कार्य के लिये राशि की निकासी सिमडेगा कोषागार, सिमडेगा से की जायेगी।
 9. इस कार्य पर होने वाला व्यय-
(i) मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप- मुख्य शीर्ष-80 सामान्य, लघु शीर्ष -796- जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष 74- मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष- 05- निर्माण, 45- मुख्य निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित बजटीय राशि के अधीन विकलनीय होगा।
 10. जल संसाधन विभाग के लिये वर्ष 2020-21 के बजट में
(i) शीर्ष - 49S-4701-80-796-74-05-45 अन्तर्गत रु० 500.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।
 11. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
 12. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
 13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा।
 14. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
 15. इसी आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

सरकार के सचिव

पत्रांक:- 7/यो०-कोर्ट केश-21/2018- 21/20-21 4-6-11

/राँची, दिनांक 12.02.2021

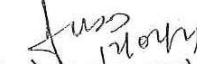
प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

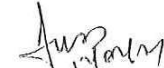
पत्रांक:- 7/यो०-कोर्ट केश-21/2018- 21/20-21 प.ह. /राँची, दिनांक 12-02-2021

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा कोषागार, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

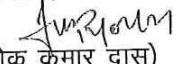
पत्रांक:- 7/यो०-कोर्ट केश-21/2018- 21/20-21 प.ह. /राँची, दिनांक 12-02-2021

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं०-1, सिमडेगा/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृतिपत्र निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- 7/यो०-कोर्ट केश-21/2018- 21/20-21 प.ह. /राँची, दिनांक 12-02-2021

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव

(10)